

आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं श्री बांगड चिकित्सालय, संयुक्त चिकित्सालय
संघ, पाली (राज.) नागरिक अधिकार पत्र वर्ष 2018

यह नागरिक अधिकार – पत्र चिकित्सालय सेवा के उपभोक्ता को निम्नलिखित विषयों पर सूचना उपलब्ध कराने का प्रयास है :-

- इस चिकित्सालय में उपलब्ध सेवाएँ
- सेवाओं की गुणवत्ता
- सेवाओं की उपलब्धता से वंचित रहने अथवा उनकी गुणवत्ता के संदर्भ में शिकायत प्रक्रिया ।

सेवाओं के मानदण्ड

- यह एक विशिष्ट राजकीय चिकित्सालय है जो पाली आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय है ।
- चिकित्सालय में आने वाले प्रत्येक रोगी को आवश्यकतानुसार उचित सेवा उपलब्ध करायी जाती है ।
- चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के स्वरूप, मात्रा तथा गुणवत्ता रोगियों की संख्या व उपलब्ध संसाधनों की सिमितता से प्रभावित होती है

● चिकित्सालय की भौगोलिक स्थिति

- श्री बांगड चिकित्सालय, मातृ एवं शिशु बाल चिकित्सालय, ट्रेमा सेन्टर (अस्थि रोग विभाग), टी.बी. एवं श्वसन रोग, डीई.आरसी. ब्लड बैंक उक्त सभी चिकित्सालय सूरजपोल, अम्बेडकर सर्किल के समीप स्थित है ।

पाली आयुर्विज्ञान चिकित्सालय के उपयोगी दूरभाष नम्बर

श्री बांगड चिकित्सालय	ईपीएबीएक्स नम्बर
स्वागत पंजीकरण	02932– 224102
एम्बूलेन्स	108
अधीक्षक श्री बांगड चिकित्सालय, पाली	02932 – 224102

- मुख्य चिकित्सालय भवन के मुख्य गेट पास 24 घन्टे उपलब्ध सेवाये

- एम्बूलेन्स (रोगी वाहन) यहाँ 24 घन्टे रोगी वाहनों की सेवाएँ निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध है ।
- यहाँ से टेलिफोन सख्यां 108 पर सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।
- यहाँ भर्ती किये गये मरीजों का वार्ड में ले जाने के व्हील चेयर, ट्रॉली एवं कर्मचारी 24 घन्टे उपलब्ध रहते है ।
- यहाँ भर्ती रोगी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है तथा नये रोगी का अन्तर्वासी टिकट बनवा सकते है । चिकित्सक व स्टाँफ की ड्यूटी संबंधी जानकारी भी प्राप्त कर सकते है ।
- स्वागत कक्ष के समीप ही चिकित्सालय का मानचित्र लगा है इसके अतिरिक्त स्थान-स्थान पर सुविधा स्थिति संकेतक लगे है ।
- स्वागत कक्ष के समीप ही कार्यरत ईकाइयों संबंधी सूचना एक श्याम पट्ट पर रोजाना अंकित की जाती है ।
- बी०पी०एल०मरीज,विधवा,विकलांग,सीनियर सीटिजन व आस्था कार्डधारी इत्यादि के लाभ एवं ईलाज से संबंधित सूचना भी प्राप्त की जा सकती है ।

चिकित्सालय के समय सारणी..

	ग्रीष्मकालीन	शीतकालीन
समस्त विभागो का ओपीडी का समय (बंहिरंग विभाग)	1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक प्रातः 8.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक	1 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 9 बजे से दोपहर 03 बजे तक

नोट :- रविवार एवं अन्य राजपत्रित अवकाश के दिन सभी ओ०पी०डी०विभाग प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक खुले रहते हैं ।

- आपातकालीन सेवाएँ

- इस चिकित्सालय में आपातकालीन सेवायें 24 घन्टे उपलब्ध है ।
- वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक आपातकालीन स्थिति में आवश्यकतानुसार उपलब्ध होते है । मेडिकल, सर्जरीकल, आर्थोपेडिक्स, ग्यानोकॉलोजी, पिडियाट्रिक्स व निश्चेतन विभाग की चिकित्सकीय सुविधा सदैव उपलब्ध रहती है ।
- जनाना, शिशु रोग एवं हृदय रोग से संबंधित आपातकालीन कक्ष संबंधित चिकित्सालय ब्लॉक में 24 घन्टे कार्यरत है । जिसमें विशेषज्ञ उपलब्ध रहते है ।

- आपात स्थिति में शल्य क्रिया की सुविधा उपलब्ध है ।
- गंभीर स्थिति में कागजी व पुलिस कार्यवाही से पहले ही मरीज का उपचार उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है । स्थिति का आंकलन रोगी की अवस्था व चिकित्सक के विवेक पर निर्भर करता है ।
- आपातकालीन सेवाओं से संबंधित चिकित्सक /कर्मचारियों की सूची स्वागत कक्ष में श्यामपट्ट पर अंकित की जाती है ।
- आपात कक्ष के साथ एक बिस्तर की आधुनिक उपकरणो आक्सीजन इत्यादि से सुसज्जित सघन चिकित्सा इकाई 24 घन्टे कार्यरत है ।
- आपात कक्ष में 10 शैय्याएं उपलब्ध है ।

बंहिरंग रोगी सेवाएं

क्र. सं.	बंहिरंग रोगी सेवाएं	दिवस (वार)	स्थान
1	शिशु रोग	प्रतिदिन	मातृ एवं शिशु चिकित्सालय
2	शिशु चिकित्सा शल्य	प्रतिदिन	मातृ एवं शिशु चिकित्सालय
3	स्वस्थ शिशु क्लीनिक	प्रतिदिन	मातृ एवं शिशु चिकित्सालय
4	शिशु उल्टी दस्त इलाज एवं सहायक क्लिनिक	प्रतिदिन	मातृ एवं शिशु चिकित्सालय
5	समाजिक चिकित्सा एवं टीकाकरण (पी.एस.एम)	प्रतिदिन	मातृ एवं शिशु चिकित्सालय
6	स्त्री एव प्रसुति रोग विभाग	प्रतिदिन	मातृ एवं शिशु चिकित्सालय
7	एन्टीनेटल प्रसव पूर्व) क्लीनिक	प्रतिदिन	मातृ एवं शिशु चिकित्सालय
8	पोस्टनेटल(प्रसव पश्चात)	प्रतिदिन	मातृ एवं शिशु चिकित्सालय
9	प्रसव सेवायें	प्रतिदिन	मातृ एवं शिशु चिकित्सालय
10	निःसंतान युगल क्लीनिक	प्रतिदिन	मातृ एवं शिशु चिकित्सालय
11	परिवार कल्याण सेवायें	प्रतिदिन	मातृ एवं शिशु चिकित्सालय
12	मेडिसिन	प्रतिदिन	बंहिरंग विभाग में
13	शल्य चिकित्सा (सर्जरी)	प्रतिदिन	बंहिरंग विभाग में
14	निश्चेतन	प्रतिदिन	बंहिरंग विभाग में
15	अस्थि रोग	प्रतिदिन	बंहिरंग विभाग में

16	मानसिक रोग	प्रतिदिन	बंधिरंग विभाग में
17	मेडिकल ज्यूरिस्ट	प्रतिदिन	बंधिरंग विभाग में
18	अस्थमा क्लीनिक	प्रतिदिन	बंधिरंग विभाग में
19	केन्सर रोग	प्रतिदिन	बंधिरंग विभाग में
20	फिजियोथैरेपी एवं पुर्नवास	प्रतिदिन	बंधिरंग विभाग में
21	नाक कान गला रोग विभाग	प्रतिदिन	बंधिरंग विभाग में
22	दंत रोग विभाग	प्रतिदिन	बंधिरंग विभाग में
23	चर्म एवं रति रोग विभाग	प्रतिदिन	बंधिरंग विभाग में
24	नेत्र रोग विभाग	प्रतिदिन	बंधिरंग विभाग में
25	टी.बी एवं श्वसन रोग विभाग	प्रतिदिन	टी.बी एवं श्वसन चिकित्सालय
26	ए0आर0टी0 सेंटर	प्रतिदिन	मुख्य चिकित्सालय में
27	मीनोपाजल (रजोनिवृत्त क्लीनिक)	प्रतिदिन	मातृ एवं शिशु चिकित्सालय
28	आपातकालीन प्रसव सेवाएं (ऑपरेशनों)	प्रतिदिन	मातृ एवं शिशु चिकित्सालय

● प्रयोगशाला एवं जॉच सेवाये :-

सामान्य खून , मल , मुत्र , थूक	मुख्य भवन के बीच में केन्द्रीय प्रयोगशाला, नमुने ग्रीष्मकाल में प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक तथा शीत कालीन में प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक लिये जाते हैं। भर्ती मरीजों के लिए आवश्यकतानुसार आपातकालिन सुविधाएँ 24 घण्टे उपलब्ध हैं। स्वाईन फलु मरीजों के लिए सेम्पल चिकित्सालय के आईसोलेशन वार्ड में ही लिया जाता है।
--------------------------------	---

नोट:- प्रतिदिन अथवा अन्य दिवसों पर सभी जॉचे चिकित्सालय समय में (रविवार व अन्य राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) सामान्यतः पूर्व में तारीख लेकर की जाती है। आपात स्थिति में 24 घण्टे सेवायें उपलब्ध करवाई जा सकती हैं।

- मुख्यमंत्री निःशुल्क जांचों के अतिरिक्त सभी तरह की नैदानिक सुविधाओं के संबंध में लिये जाने वाले शुल्क की सूची प्रयोगशाला कक्ष के बाहर प्रदर्शित की गई है । चिकित्सालय की प्रत्येक सःशुल्क सेवा के लिए उचित रसीद दी जाती है ।
- प्रयोगशाला जॉच तथा एक्स-रे इत्यादि के लिए निम्नलिखित श्रेणियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है ।
 - बी.पी.एल.कार्डधारी-गरीबी की रेखा से नीचे के गरीब
 - आस्था कार्डधारी
 - नारी निकेतन

- राज्य सरकार द्वारा जारी निः शुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्डधारी पत्रकार
- सामूहिक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों
- विकलांग
- दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों
- विधवा
- स्वतन्त्रा सेनानी/भूतपूर्व सैनिक
- 60 वर्ष से उपर के वरिष्ठ नागरिक
- राज्य सरकार के पेंशनर्स
- लावारिस/कैदी

● ब्लड बैंक सुविधा

- इस चिकित्सालय में 24 घन्टे ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध है ।
- ब्लड बैंक द्वारा दिये जाने वाले रक्त की हैपेटाईटिस-बी, हैपेटाईटिस-सी, वी.डी.आर.एल., एच. आई.वी. मलेरिया पैरासाईट, ब्लड ग्रुपिंग संबंधी जाँच के पश्चात् ही रक्त दिया जाता है ।
- रोगी के रिश्तेदार द्वारा रक्त दिये जाने के पश्चात् रोगी के लिए रक्त दिया जाता है । गंभीर रोगियों के लिए दुर्घटनाग्रस्त रोगियों को जीवन रक्षक स्थिति में चिकित्सालय के द्वारा आवश्यकतानुसार तुरन्त रक्त उपलब्ध करवाया जाता है ।
- निजी संस्था / चिकित्सालयों से रक्त जाँच हेतु 1250/- प्रति यूनिट शुल्क लिया जाता है तथा रक्त मरीज के रिश्तेदार द्वारा ही दिया जाता है ।
- रक्त दान-दाताओं से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है ।

● अन्तर्वासी रोगियों के लिए सुविधाएँ :-

- चिकित्सालय में भर्ती रोगियों के निःशुल्क उपचार हेतु वर्तमान में 300 शैय्याएँ उपलब्ध है ।
- अति-गंभीर रोगियों के लिए आई.सी.यू. की सुविधा उपलब्ध है ।
- स्त्री एवं पुरुष रोगियों के लिए अलग-अलग वार्ड्स निर्धारित किये हुए हैं ।
- प्रत्येक रोगी शैय्या पर लिनन (चादर तकिये का आवरण) सामान्यतः हर तीन दिवस के बाद बदला जाता है ।
- वृद्ध/विकलांग तथा गर्भवती महिलाओं को परामर्श / उपचार हेतु लगी कतार में वरीयता दी जाती है ।

● मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण स्वास्थ्य सेवायें

- शिशु चिकित्सालय परिसर में व जनाना चिकित्सालय परिसर में बच्चों/महिलाओं के टीकाकरण तथा परिवार कल्याण सेवायें भी पूर्णतः निःशुल्क आधार पर दी जाती हैं।
- परिवार कल्याण सेवाओं के अन्तर्गत लूप प्रविष्टि (काॅपर-टी) की सेवायें जनाना चिकित्सालय के आउटडोर में प्रतिदिन चिकित्सालय समय में उपलब्ध हैं।

- सामान्य प्रसूति एवं आपातकालीन प्रसूति सेवायें 24 घण्टे उपलब्ध हैं।
 - परिवार कल्याण सेवाओं के अन्तर्गत नसबन्दी (पुरुष/महिला) सेवायें प्रतिदिन उपलब्ध हैं।
 - टीकाकरण की सुविधा एमसीएच विंग में प्रतिदिन चिकित्सालय समय में निःशुल्क दी जाती है।
 - परिवार कल्याण संबंधी सलाह एवं अन्य साधर गर्भ-निरोधक गोलिया, निरोध आदि एमसीएच विंग में प्रतिदिन उपलब्ध है।
 - शिशुओं के स्तनपान एवं खानपान की सलाह शिशु चिकित्सालय में प्रतिदिन दी जाती है।
- **विकलांगता संबंधी प्रमाण-पत्र**
 - इस चिकित्सालय के संबंधित विभाग से जैसे ईएनटी, आई, मनोरोग, भौतिक चिकित्सा एवं पुर्न. विभाग से विकलांग व्यक्ति को प्रत्येक सोमवार को विकलांगता प्रमाण-पत्र दिया जाता है। ऐसे विकलांग व्यक्ति (जो प्रमाण-पत्र लेने के इच्छुक है) को चूरू जिले का निवासी होने के प्रमाण स्वरूप अपना राशन कार्ड तथा दो पासपोर्ट आकार की फोटो लाना आवश्यक है ताकि अनावश्यक विलम्ब न हो।
- **भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना**
 - भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को इस चिकित्सालय में 13 दिसम्बर 2015 से प्रारम्भ किया गया है।
 - इसका कार्यालय इस चिकित्सालय में कमरा नं. 27 में संचालित है।
 - इसके नोडल अधिकारी डा. अ. अ. अविकल्प प्रकाश है।
 - इस योजना के तहत वो मरीज आते हैं जो भर्ती हैं। रोगी के लाभान्वित की पहचान भामाशाह कार्ड से की जाती है जिसमें वही परिवार आते हैं जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चयनित किये गये हैं।
 - इसके अन्तर्गत इलाज पूर्णतया निःशुल्क किया जाता है और इस योजना में निजी चिकित्सालयों में भी उनके लिए निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है।
 - इसके अन्तर्गत आने वाले रोगियों को सामान्य बीमारी के लिए 30,000/- व गम्भीर बीमारी के लिए 3,00,000/- तक इलाज निःशुल्क होता है।
- **अन्य सुविधाएँ / सूचनाएँ**
 - चिकित्सालय परिसर में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र पर ओ.पी.डी. एवं आई.पी.डी. मरीजों हेतु दवा वितरण केन्द्र उपलब्ध हैं जहाँ पर मरीजों को निःशुल्क दवायें दी जाती है।
 - मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना जो कि दिनांक 07.04.13 से शुरू हैं ।
 - चिकित्सालय परिसर में ही उपभोक्ता भण्डार द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानें उपलब्ध है । एवं इसके अतिरिक्त पेशनर्स के लिए भी दुकानें उपलब्ध है ।
 - चिकित्सालय में रोगियों को लाने-ले जाने हेतु व्हील चैयर्स तथा स्ट्रेंचर ट्रॉली भी चिकित्सालय के पूछताछ विभाग में निःशुल्क उपलब्ध है ।

- इस चिकित्सालय में विभिन्न विषिष्ठ सेवाओं के लिए विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षित परिचारिकाएँ सेवारत हैं । चिकित्सक सफेद कोट व परिचर्या कर्मी अपने निर्धारित गणवेश में रहते हैं एवं सभी के पास व्यक्तिगत पहचान-पत्र है ।
- चिकित्सालय परिसर में ठेके पर कार्यरत साईकिल स्टेण्ड पर साईकिल /वाहन रखने की सुविधा दरें निम्न प्रकार है :-
- साईकिल 5 रुपये दिन के समय
- साईकिल 10 रुपये रात्रि के समय
- अन्य वाहन (दुपहिया) 10 रुपये दिन के समय
- अन्य वाहन (दुपहिया) 20 रुपये रात्रि के समय
- निजी कार व जीप आदि के लिये 20 / रुपये प्रतिवाहन दिन व रात्रि में 30 / रुपये निर्धारित हैं ।

● रोगियों हेतु दवाईयाँ

- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों जिनके पास गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले है (बी.पी.एल.कार्डधारी मुख्यमंत्री जीवनरक्षा कोष) के ईलाज हेतु समस्त जाँच एवं दवाईयाँ की निःशुल्क व्यवस्था चिकित्सालय के द्वारा की जाती है ।
- मुख्यमंत्री सहायता कोष के अन्तर्गत सीमा में मरीजों को निशुल्क ईलाज दिया जाता हैं
- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अस्पताल में आने वाली शहरी एवं ग्रामीण महिलायें जिनमें बी.पी.एल. कार्डधारी भी हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संस्थागत प्रसव के लिये प्रोत्साहन राशि दी जाती हैं ।

● चिकित्सको द्वारा निवास पर लिये जाने वाले परामर्श शुल्क की दरें

क्रं. सं.	पद	निर्धारित शुल्क
1	प्रोफेसर	150 / -
2	सहआचार्य	125 / -
3	सहायक आचार्य	100 / -
4	चिकित्सा अधिकारी	75 / -

- समस्त रोगियों को चिकित्सालय समय में व गंभीर रोगियों के लिए 24 घंटे चिकित्सको द्वारा उचित परामर्श व निदान सेवाएँ उपलब्ध रहती है । चिकित्सको के घर पर परामर्श हेतु जाना मरीज की अपनी इच्छा पर निर्भर है । चिकित्सालय प्रशासन किसी भी रूप में इसे प्रोत्साहित करने के विरुद्ध हैं चिकित्सालय प्रशासन मरीजो को चिकित्सालय में ही सेवाएँ प्राप्त करने का परामर्श देता है ।

● चिकित्सालय में मरीजो के भोजन की व्यवस्था

- चिकित्सालयो में भर्ती रोगियों को चिकित्सक की सलाह के अनुसार निःशुल्क भोजन का प्रावधान है । बजट की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सामान्यतः निर्धन रोगियों की मांग पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है ।
- मरीजो के परीजनो को परिसर में भोजन व्यवस्था मुख्यमन्त्री अन्नपूर्णा योजना द्वारा रियायती दरो पर उपलब्ध है ।

● सूचना का अधिकार व प्रक्रिया

चिकित्सालय से निम्नलिखित दस्तावेज निश्चित शुल्क पर प्राप्त कर सकते हैं :-

- सामान्य स्थिति में उपचार संबंधी अभिलेख(मेडिकोलीगल)को छोडकर निःशुल्क उपलब्ध दवाईयों की सूची
- उन वर्गों की सूची जिन्हें निःशुल्क सुविधाएँ उपलब्ध है ।
- नैदानिक सुविधाओं तथा उन पर लिये जाने वाले शुल्क की सूची ।
- चिकित्सालय के संचालन एवं रखरखाव हेतु उपलब्ध वार्षिक बजट की सूचना ।
- मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी द्वारा अर्जित राशि व उसके खर्च का ब्यौरा ।
- अन्तर्वासी रोगियों को उपलब्ध निःशुल्क सेवाओं की सूचना ।

अभिलेखो की प्राप्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया व शुल्क संबंधी सूचना स्वागत कक्ष व पूछताछ कक्ष तथा अधीक्षक कार्यालय में उपलब्ध है । सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आवेदन शुल्क 10 रुपये है । अभिलेख/जानकारी उपलब्ध कराने की समय सीमा 30 दिन है । अभिलेख प्राप्ति के लिए प्रति पेज 2 रुपये के हिसाब से चिकित्सालय में जमा करवाने आवश्यक है । बी.पी.एल.कार्डधारी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है ।

● शिकायत व परिवाद

- कभी-कभी संभव है कि चिकित्सालय सेवाएँ आपकी आशा एवं अपेक्षा के अनुरूप न हो, ऐसी स्थिति में सेवाओं के स्वरूप को बनाये रखने के लिए प्रत्येक नागरिक से यह अपेक्षा

की जाती है वे ऐसे सेवा दोषों के संबंध में लिखित में अपनी शिकायत व सुझाव चिकित्सालय प्रबन्धक तक पहुंचाएँ। इससे सेवाओं के समुचित संचालन में सहायता मिलती है।

- आप अपनी शिकायत/सुझाव स्वागत कक्ष के पास रखी गयी शिकायत पुस्तिका/सुझाव पेटी में डाल सकते हैं अथवा व्यक्तिगत रूप से अधीक्षक कार्यालय को दे सकते हैं।
- आपकी शिकायत व सुझावों को व्यक्तिगत रूप से सुनने के लिए अधीक्षक एवं प्रधानाचार्य प्रतिदिन दोपहर में 3-4 बजे तक कार्यालय में उपलब्ध हैं तथा विशिष्ट परिस्थितियों में इस समय के अतिरिक्त भी सम्पर्क किया जा सकता है।
- इस चिकित्सालय प्रबन्धक के द्वारा शिकायत कर्ता/सुझाव प्रस्तुत कर्ता का नाम व पता उपलब्ध होने पर उसकी शिकायत /सुझाव के निराकरण के बारे में शीघ्र कार्यवाही कर दी जाती है।

● उपभोक्ता नागरिकों के कर्तव्य

- इस नागरिक अधिकार पत्र द्वारा चिकित्सालय प्रबन्धन आपसे भी सम्पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करता है जिसके अन्तर्गत आपका भी दायित्व है कि आप चिकित्सालय प्रबन्धको की सीमाओं को ध्यान में रखें।
- अन्य रोगियों की सुविधाओं को भी दृष्टिगत करें। किसी भी चिकित्सालय कर्मचारी को किसी भी ऐसी सेवा के लिए जो निःशुल्क है धन न दें। इस चिकित्सालय में शराब, बीडी, सिगरेट, गुटका पान एवं तम्बाकू व अन्य नशील वस्तुओं का सेवन न करें व सेवन के उपरान्त परिसर में प्रवेश न करें।
- चिकित्सालय को साफ बनाये रखें।
- चिकित्सालय के शौचालयों को गंदा न करें।
- आपका रोगी भी अन्य रोगी की तरह महत्वपूर्ण है परन्तु सेवा की प्राथमिकता रोगी अवस्था से प्रभावित होती है अतः चिकित्सको /कर्मचारियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करें।
- भर्ती रोगियों से मिलने हेतु समय दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक निर्धारित है। भर्ती रोगी हेतु एक से अधिक अटेंडेन्ट नहीं रखें। यह रोगियों की बेहतर देखभाल के लिए एवं हम सब के लिये परम आवश्यक कर्तव्य है। मरीजों के लिए खाना ले जाने का समय दोपहर 12.00 बजे से 1.00 बजे तक है।

- आपके सकारात्मक सुझाव व रचनात्मक सहयोग आपके चिकित्सालय को आदर्श चिकित्सालय बना सकते हैं ।
 - स्वयंसेवी संस्थाओं / ट्रस्टों के माध्यम से व सीधे ही दान-दाताओं के सहयोग से सेवाओं के विस्तार, रखरखाव एवं मरीजों के रिश्तेदारों के लिए सस्ता भोजन, धर्मशाला, प्याऊ तथा रैन बसेरा आदि महत्वपूर्ण कार्य/सेवाएँ पूर्ण हुए/चल रहे हैं। पीड़ित मानवता की सेवा में अपनी क्षमता के अनुसार सहभागी बनकर पुण्य कमाये एवं चिकित्सालय को अनुग्रहित करें।
 - चिकित्सालय में होने वाले जाँचों की सूची पूछताछ केन्द्र एवं संबंधित विभागों में उपलब्ध है ।
- ओपीडी टिकट शुल्क 10 रुपये निर्धारित है।
 - भर्ती टिकट शुल्क 50 रुपये निर्धारित है।